## सूचना और प्रसारण मंत्रालय (सतर्कता अनुभाग)

विषय: आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत स्वत: (Suo moto) प्रकटीकरण का कार्यान्वयन - के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय पर आरटीआई सेल के आईडी नोट नंबर आर-11013/10/2024-आरटीआई सेल दिनांक 17.01.2024 का संदर्भ लें, जिसमें सतर्कता अनुभाग से संबंधित (स्वत: प्रकटीकरण) जानकारी हेतु अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में, सतर्कता अनुभाग में उपलब्ध वर्ष 2023-2024 तक नवीनतम/अद्यतन जानकारी का विवरण इस प्रकार है:

SI. No.	अंक (Item)	(Details of disclosure)	टिप्पणी/संदर्भ बिंदु (Remark/ Reference points)
1.	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/की गई है	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है:	
		(1) Major/ Minor अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए लंबित	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सतर्कता अनुभाग में 20 अनुशासनात्मक मामले Major Disciplinary Proceedings के लिए लंबित हैं।
		(ii) Major/ Minor अनुशासनात्मक कार्यवाही (Major/ Minor Disciplinary Proceedings) जिनका अंतिम निर्धारण किया गयाह है।	6 मामलों में Major/ Minor

अशोक कुमार) सचिव (सर्वर्कता)

अवर सचिव (संतर्कता) दूरभाष: 23388411

अवर सचिव (आरटीआई सेल), मुख्य सचिवालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

M/o I&B ID No. I-11012/1/2024-Vig.

Dated: 67 .02.2024.